राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/24/ 6152 दिनांक 16/01/25

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– **पंचायतीराज संस्थाओं के डीडीओ कार्मिकों की SSO ID मैपिंग एवं डीडीओ रोल आवंटन की प्रक्रिया बाबत।**

महोदय,

विषयान्तर्गत वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिकों का वेतन भुगतान आई.एफ.एम.एस. 2.0 के अन्तर्गत पी.आर.आई. पे–मैनेजर मॉड्यूल के माध्यम से होने के कारण उक्त संस्थाओं के डीडीओं की SSO Id की मैपिंग भी आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर नहीं हुई है जिसकी प्रक्रिया आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर विकसित कर ली गई है। आई. एफ.एम.एस. 3.0 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालयों के डीडीओं की SSO Id मैपिंग एवं डीडीओं रोल प्रदान किए जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

<u>आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के रूप में की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया :–</u>

1. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर संस्था / कार्यालय के डीडीओं द्वारा SSO पोर्टल पर स्वंय की SSO Id से लॉगिन कर आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर क्लिक किया जाना है तत्पश्चात उपलब्ध स्क्रीन पर Citizen self service (CSS) के माध्यम से SSO Id मैपिंग की Request जनरेट की जावेगी। उक्त प्रक्रिया में डीडीओं कार्मिक द्वारा ऑफिस आई.डी., पी.डी. खाता संख्या का चयन कर Request जनरेट की जावेगी।
2. उक्त जनरेटेड Request संबंधित निजी निक्षेप खाते से सम्बद्ध कोषाधिकारी के लॉगिन में "PD SSO employee mapping request" विकल्प में उपलब्ध होगी। कोषाधिकारी के लॉगिन में Request को सलेक्ट करने पर संबंधित कार्यालय के कार्मिकों की सूची प्रदर्शित होगी।
3. यदि कार्मिक की Request पेंडिंग रहती है तो नई Request जनरेट नहीं की जा सकेगी।
4. कार्मिक द्वारा जनरेट की गई Request की Status Citizen के रूप में कार्मिक को उपलब्ध रहेगी।

<u>कोषाधिकारी स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया :–</u>

1. कोषाधिकारी द्वारा कार्मिक के नाम का चयन किए जाने पर SSO पोर्टल पर कार्मिक का दर्ज विवरण एवं पी.आर.आई. पे–मैनेजर पर दर्ज विवरण यथा कार्मिक की DOB, Name आदि सूचनाओं में से 80% एवं अधिक सूचना के Validate होने पर Submit का विकल्प उपलब्ध होगा।

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

2. कोषाधिकारी द्वारा Request को Submit करने पर उक्त SSO Id की संबंधित कार्मिक की Employee id से मैपिंग हो जायेगी। बिन्दु संख्या 3 में वर्णित कार्मिक के विवरण वेलीडेट न होने की दशा में कोषाधिकारी द्वारा उक्त Request को रिजेक्ट किया जा सकेगा। यदि कोषाधिकारी द्वारा Request रिजेक्ट कर दी जाती है तो कार्मिक द्वारा पुनः Request जनरेट की जायेगी।

डीडीओं द्वारा कार्मिक के रूप में उक्त प्रकार से दर्ज SSO Id मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कोषाधिकारी को आई.एफ.एम.एस. 3.0 में पी.आर.आई. डीडीओं मैपिंग विकल्प के माध्यम से कार्मिक के डीडीओं रोल मैपिंग का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

अतः उपरोक्तानुसार आपके कोषालय/उपकोषालय के अधीनस्थ पंचायतीराज संस्थाओं के डीडीओ कार्मिक की SSO Id की मैपिंग का कार्य संबंधित डीडीओं की SSO Id के माध्यम से करवाया जाना तथा संस्था से प्राप्त आवेदन के उपरान्त उक्त कार्मिकों को डीडीओ रोल प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव